

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

ओम प्रकाश गिरि

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2022 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं.2813

05 अगस्त, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री जीतेन्द्र कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या पीड़ित द्वारा दोषमुक्ति और परिवीक्षा अधिनियम के लाभ के विरुद्ध दायर अपील विधिसम्मत रूप से स्वीकार्य थी?
- क्या बिना पीड़ित की याचिका के अपीलीय न्यायालय द्वारा धारा 5, परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अंतर्गत मुआवजा आदेशित किया जा सकता है?

हेडनोट्स

पीड़ित को सज़ा की अपर्याप्तता के विरुद्ध अपील दायर करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। अपराधियों पर सुधारात्मक निगरानी अधिनियम के तहत लाभ दिए जाने को भी धारा 372 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत पीड़ित/सूचनाकर्ता द्वारा अपील दायर करने का आधार नहीं माना गया है। (पैरा 16, 17)

घटना रात्रि में अंधकार के समय हुई थी। कोई भी गवाह यह नहीं बता सका कि किसने किस पर हमला किया। अभियुक्तों की हत्या करने की कोई मंशा नहीं थी। उनके पास कोई घातक हथियार नहीं था, न ही उन्होंने ऐसा कोई प्रत्यक्ष कार्य किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि वे हत्या करने का इरादा रखते थे और पीड़ित केवल हस्तक्षेप करने वाली परिस्थितियों के कारण ही बच सके। चोरी के आरोप के समर्थन में भी अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। (पैरा

पीड़ित को मुआवज़ा या प्रक्रिया की लागत प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन दायर करना अनिवार्य नहीं है। यदि न्यायालय यह मानता है कि पीड़ित मुआवज़ा या लागत का हकदार है, तो वह स्वप्रेरणा से अभियुक्त के विरुद्ध पीड़ित के पक्ष में ऐसा निर्देश पारित कर सकता है। ऐसा निर्देश पारित करने की एकमात्र पूर्वशर्त यह है कि अपराधियों को 1958 के अधिनियम की धारा 3 या 4 के अंतर्गत रिहा किया गया हो। (पैरा 47)

प्रत्युत्तरदाताओं को मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया। (पैरा 49)

न्याय दृष्टान्त

परविन्दर कंसल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2020) 19 एस.सी.सी. 496; हरबंस सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1961 एस.सी.सी. ऑनलाइन एससी 40; चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, (2007) 4 एस.सी.सी. 415; मुरुगेशन बनाम राज्य, (2012) 10 एस.सी.सी. 383; एच.डी. सुन्दर बनाम कर्नाटक राज्य, (2023) 9 एस.सी.सी. 581; बाबू सहेबगौड़ा रुद्रगौड़र बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एससी 561; सगयम बनाम कर्नाटक राज्य, (2000) 4 एस.सी.सी. 454; पुलीचेरला नागराजू उर्फ नागराज रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2006) 11 एस.सी.सी. 444; मारू राम बनाम भारत संघ, (1981) 1 एस.सी.सी. 107; हरीकिशन बनाम सुखबीर सिंह, (1988) 4 एस.सी.सी. 551; सरवन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1978) 4 एस.सी.सी. 111; अंकुश एस. गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013) 6 एस.सी.सी. 770

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; परिवीक्षा अधिनियम, 1958

मुख्य शब्दों की सूची

पीड़ित की अपील; परिवीक्षा अधिनियम; पीड़ित को मुआवजा; दोषमुक्ति अपील; धारा 372 दंप्रसं; धारा 377 दंप्रसं; धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम; गंभीर चोट; रात्रि हमला; हत्या का आशय

प्रकरण से उत्पन्न

सत्र वाद संख्या 251/2017 (उद्भूत मंझागढ़ थाना कांड संख्या 101/2013 से)

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री विकास रतन भारती, अधिवक्ता; श्री कुमार अभिषेक, अधिवक्ता; श्री

दीपक कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री बाल मुकुंद प्रसाद सिन्हा, स.लो.अ.

उत्तरदाता सं.- 2 से 13 के लिए: श्री देवाशीष गिरि, अधिवक्ता; श्री सुमित कुमार, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2022 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं.2813**

थाना कांड सं.-101 वर्ष-2013, थाना-मंझागढ़, जिला-गोपालगंज से उद्भूत

=====

ओम प्रकाश गिरि, पिता- शिव शंकर गिरि, निवासी/गाँव-अहिरवालिया, डाकघर और
थाना-मंझागढ़, जिला-गोपालगंज (बिहार)

... .. अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. दिलीप गिरि, पिता-देव सरन गिरि, निवासी/गाँव-शेख परसा, अहिरवालिया, डाकघर और
थाना-मंझागढ़, जिला-गोपालगंज
3. मुन्ना गिरि, पिता- देव सरन गिरि, निवासी/गाँव-शेख परसा, अहिरवालिया, डाकघर
और थाना-मंझागढ़, जिला-गोपालगंज
4. अमित गिरि, पिता-देव सरन गिरि, निवासी/गाँव-शेख परसा, अहिरवालिया, डाकघर और
थाना-मंझागढ़, जिला-गोपालगंज
5. सुजीत गिरि, पिता-देव सरन गिरि, निवासी/गाँव-शेख परसा, अहिरवालिया, डाकघर और
थाना-मंझागढ़, जिला-गोपालगंज
6. देव सरन गिरि, पिता-स्वर्गीय राज वल्लभ गिरि, निवासी/गाँव-शेख परसा,
अहिरवालिया, डाकघर और थाना-मंझागढ़, जिला-गोपालगंज
7. जुगुल गिरि, पिता-स्वर्गीय राज बल्लभ गिरि, निवासी/गाँव-शेख परसा, अहिरवालिया,
डाकघर और थाना-मंझागढ़, जिला-गोपालगंज
8. शिव नाथ गिरि उर्फ शिव नाथ गिरि राम प्रसाद गिरि, निवासी/गाँव-शेख परसा,
अहिरवालिया, डाकघर और थाना-मंझागढ़, जिला-गोपालगंज
9. राम सूरत गिरि, पिता- शिव नाथ गिरि, निवासी/गाँव-शेख परसा, अहिरवालिया,
डाकघर और थाना-मंझागढ़, जिला-गोपालगंज
10. शिवाजी चौधरी, पिता- स्वर्गीय बाबू लाल उर्फ शिव नाथ चौधरी, निवासी/गाँव-शेख
परसा, अहिरवालिया, डाकघर और थाना-मंझागढ़, जिला-गोपालगंज
11. बालेश्वर चौधरी, पिता- रामधारी चौधरी, निवासी/गाँव-शेख परसा, अहिरवालिया, डाकघर
और थाना-मंझागढ़, जिला-गोपालगंज
12. श्री भगवान चौधरी, पिता- बाबू लाल चौधरी, निवासी/गाँव-शेख परसा, अहिरवालिया,

डाकघर और थाना-मंझागढ़, जिला-गोपालगंज

13. राम एकबल गिरि, पिता- स्वर्गीय माधो गिरि, निवासी/गाँव-शेख परसा, अहिरवालिया,
डाकघर और थाना-मंझागढ़, जिला-गोपालगंज

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री विकास रतन भारती, अधिवक्ता
श्री कुमार अभिषेक, अधिवक्ता
श्री दीपक कुमार, अधिवक्ता
राज्य के लिए : श्री बाल मुकुंद प्रसाद सिन्हा, स.लो.अ.
उत्तरदाता सं.- 2 से 13 के लिए : श्री देवाशीष गिरि, अधिवक्ता
श्री सुमित कुमार, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री जीतेन्द्र कुमार
सी.ए.वी. निर्णय

तारीख : 05-08-2024

वर्तमान अपील सूचक द्वारा पेश की गई है जो सत्र परीक्षण सं. 251/2017 (रजिस्टर सं. 251/2017 और 2014 की ग्रुप सं. 9607) में माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-vii, गोपालगंज द्वारा पारित दिनांक 30.04.2022 के दोषसिद्धि और सजा के आक्षेपित निर्णय के खिलाफ है, जो थाना कांड सं.-101 वर्ष-2013, थाना-मंझागढ़ से उद्भूत है, जिसके तहत सभी निजी उत्तरदाताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 148, 149, 307, 452, 379 और 504 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया है, हालांकि उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 447, 341, 323 और 427 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत चेतावनी के बाद रिहा कर दिया गया है।

2. मंझागढ़ पुलिस थाना, गोपालगंज के प्रभारी अधिकारी को संबोधित सूचक की लिखित प्रतिवेदन से अभियोजन पक्ष का मामला सामने आया है कि 19.5.2013 को रात्रि 8 बजे अभियुक्त व्यक्ति, जो यहाँ उत्तरदाता सं. 2 से 13 हैं, हथियार लेकर उसके घर के

दरवाजे पर आए और उसके घर में घुसकर उस पर, उसकी पत्नी हेमंती देवी और माँ भागीरथी कुंवर और लालसा देवी पर हमला कर दिया जिससे उन्हें चोटें आईं। हमले के कारण, सूचक और सभी घायल व्यक्ति बेहोश हो गए। अभियुक्तों ने ज़मीन पर जबरन कब्ज़ा करने के इरादे से वहाँ जबरन अस्थायी झोपड़ी बना ली, (नाद) और खुटा बना लिया और अभियुक्त दिलीप गिरि, मुन्ना गिरि, अजीत गिरि, सुजीत गिरि और शिवजी गिरि ने उसके घर से सोना और 10,000/- रुपये (कुल कीमत 1,00,000/- रुपये) नकद भी लूट लिए। उन्होंने उसके घर पर ईंट-पत्थर भी फेंके। वर्तमान में विवादित ज़मीन पर धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत कार्यवाही जारी है, लेकिन ऐसी घोषणा के बावजूद, अभियुक्तों ने सूचक की विवादित ज़मीन पर जबरन कब्ज़ा करने की कोशिश की।

3. लिखित प्रतिवेदन के आधार पर, थाना कांड सं.-101 वर्ष-2013 ,थाना-मंझागढ़, दिनांक 19.05.2013 को सभी आरोपी व्यक्तियों (यहां उत्तरदाताओं) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 447, 341, 323, 324, 307, 452 और 379 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पंजीकृत किया गया था।

4. जाँच के बाद, सभी नामजद प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध 2013 की आरोप-पत्र संख्या 69 प्रस्तुत किया गया। संज्ञान के बाद, अभियुक्तों (यहाँ उत्तरदाताओं) का मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया और 26.05.2017 को सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 447, 341, 323, 452, 427, 504, 307/149, 379/149 और 188 के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए गए। अभियुक्तों को आरोप पढ़कर सुनाए गए, जिन पर उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाए जाने की माँग की।

5. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित छह गवाहों से पूछताछ की गई:

- (1) अ.सा.-1-भागीरथी कुंवर (सूचक की माँ)
- (2) अ.सा.-2-हेमंती देवी (सूचक की पत्नी)

(3) अ.सा.-3-ओम प्रकाश गिरि (सूचक)

(4) अ.सा.-4-लालसा देवी

(5) अ.सा.-5-रमाकांत सिंह

(6) अ.सा.-6-डॉ. चंडिका प्रसाद मिश्रा

6. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी दर्ज किए:

(i) प्रदर्श 1-औपचारिक प्राथमिकी आवेदन पर हस्ताक्षर

(ii) प्रदर्श 1/1-सूचक का हस्ताक्षर

(iii) प्रदर्श 1/2-समर्थन प्राथमिकी पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर

(iv) प्रदर्श 2-औपचारिक प्राथमिकी पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर

(v) प्रदर्श 3 से 3/7-अ.सा. की चोट और पूरक चोट की प्रतिवेदन।

7. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने के बाद, अभियुक्त व्यक्तियों से दं.प्र.सं. के धारा 313 तहत पूछताछ की गई, जिसके दौरान उन्हें अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में आने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, ताकि उन्हें उन परिस्थितियों को समझाने का अवसर मिल सके। जाँच के दौरान, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने खिलाफ अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य सुने थे, लेकिन उन्होंने किसी भी परिस्थिति की व्याख्या नहीं की, हालांकि उन्होंने हर आरोप से इनकार किया और निर्दोष होने का दावा किया।

8. बचाव पक्ष की ओर से किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। हालांकि, बचाव पक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया है:-

(i) प्रदर्श ए- विलेख दस्तावेज दिनांकित 03.04.2012

(ii) प्रदर्श बी से बी/2- प्राथमिकी सं. 223/18 निर्णय दिनांकित 30.09.2021 की प्रमाणित प्रति।

(iii) प्रदर्श सी- मामला सं.1265/13

(iv) प्रदर्श डी- मामला सं. 409/13

9. विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना करने और पक्षों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया, जिसके तहत सभी अभियुक्त व्यक्ति, जो इसमें उत्तरदाताओं हैं, केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 447, 341, 323 और 427 के तहत बनाए गए आरोपों के लिए दोषी पाए गए और उनके खिलाफ बनाए गए बाकी आरोपों से बरी कर दिए गए और आक्षेपित आदेश द्वारा उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत चेतावनी के बाद रिहा कर दिया गया। हालाँकि, दोषियों द्वारा अधिनियम, 1958 की धारा 5 के तहत कार्यवाही की चोट या लागत के कारण पीड़ितों को मुआवजे के रूप में कोई मुआवजा देने का निर्देश नहीं दिया गया था।

10. अपीलकर्ता/सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलिल दिया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन नहीं किया है और अभियुक्तों/उत्तरदाताओं सं. 2 से 13 को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 307, 452, 379 और 504 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से त्रुटिपूर्ण रूप से बरी कर दिया है और उन्हें केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 447, 341, 323 और 427 के अंतर्गत दोषी ठहराया है, जबकि सभी अभियुक्तों को उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों में दोषी ठहराया जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी दलिल दिया है कि दोषियों/उत्तरदाताओं को पर्याप्त रूप से दंडित नहीं किया गया है। उन सभी को कारावास की सजा दी जानी चाहिए थी या इसके विकल्प के रूप में, उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया जाना चाहिए था।

11. हालाँकि, उत्तरदाता सं. 2 से 13 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान स.लो.अ. ने आक्षेपित निर्णय और आदेश का बचाव करते हुए कहा है कि अभिलेख पर साक्ष्य के अनुसार, यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उत्तरदाता सं. 2 से 13 का

हत्या करने का कोई इरादा था। अगर उनका ऐसा इरादा होता, तो वे सूचक और अभियोजन पक्ष के अन्य सदस्यों के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर गंभीर चोट पहुंचाने के लिए हमलों को दोहरा सकते थे। चोरी के आरोप को साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई सबूत भी नहीं है।

12. उन्होंने आगे कहा है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील के मामले में, अपीलीय न्यायालय द्वारा लागू किए जाने के लिए आवश्यक सिद्धांत उन सिद्धांतों से कुछ अलग हैं जो दोषसिद्धि के खिलाफ अपील के मामले में लागू होते हैं। अपीलीय न्यायालय को केवल तभी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है जब विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार उचित न हो। यदि दो दृष्टिकोण संभव हों और विद्वान विचारण न्यायालय ने एक दृष्टिकोण अपनाया हो, तब भी अपीलीय न्यायालय को विद्वान विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण को किसी अन्य दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून और तथ्यों की उचित समझ पर आधारित है, इसलिए अपीलीय न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. उन्होंने यह भी दलिल दिया है कि दोषी/उत्तरदाताओं को भी अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत चेतावनी के बाद सही तरीके से रिहा कर दिया गया है। सजा सुनाना न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है और सूचक को उस आक्षेपित आदेश पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है जिसके तहत दोषियों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ दिए गए हैं। दं.प्र.सं. के धारा 372 प्रावधान के तहत, पीड़ित को विवादित आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। केवल राज्य ही अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत दोषियों को सजा की अपर्याप्तता या लाभ प्रदान करने के खिलाफ दं.प्र.सं. की धारा 377 के तहत अपील दायर कर सकता है।

14. मुझे राज्य के लिए विद्वान स.लो.अ. और उत्तरदाता सं. 2 से 13 के लिए

विद्वान अधिवक्ता के दलिल में दम नजर आता है कि सूचक/पीड़ित को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत दोषियों को सजा की अपर्याप्तता या राहत देने के खिलाफ अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। दं.प्र.सं. की धारा 377 के तहत सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर करने का अधिकार केवल राज्य को दिया गया है। पीड़ित को अपील दायर करने का अधिकार दं.प्र.सं. की धारा 372 के प्रावधान के तहत प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है:-

“372. जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, झूठ बोलने की कोई अपील नहीं- किसी दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी, सिवाय इसके कि इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया हो:

बशर्ते कि पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा, जिसमें अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया हो या किसी कमतर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या अपर्याप्त मुआवजा अधिरोपित किया गया हो, और ऐसी अपील उस न्यायालय में की जा सकेगी, जिसमें ऐसे न्यायालय के दोषसिद्धि आदेश के विरुद्ध सामान्यतः अपील की जाती है।

15. दं.प्र.सं. के धारा 372 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि पीड़ित को केवल निम्नलिखित तीन स्थितियों में अपील करने का अधिकार है:

- (i) यदि अभियुक्त को बरी कर दिया गया है, या
- (ii) अभियुक्त को कम अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या
- (iii) दोषी पर अपर्याप्त मुआवजा लगाया गया है।

16. इसलिए, यह स्पष्ट होता है कि पीड़ित को सजा की अपर्याप्तता के खिलाफ अपील दायर करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। राज्य को इस तरह की अपील दायर करने का अधिकार देने वाली दं.प्र.सं. की धारा 377 के तहत सजा बढ़ाने के लिए अपील का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, अपील करने का अधिकार वैधानिक अधिकार है। जब तक कानूनी प्रावधान द्वारा अपील करने का अधिकार नहीं बनाया गया है,

तब तक अपील बनाए रखने योग्य नहीं हो सकती है। यहां परविंदर कंसल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2020) 19 एससीसी 496 का उल्लेख करना समीचीन होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

"8.परंतुक को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि जहां तक पीड़ित के अपील करने के अधिकार का संबंध है, यह तीन घटनाओं तक सीमित है, अर्थात्, अभियुक्त को बरी करना; कम अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराना; या अपर्याप्त मुआवजा लागू करना। जबकि पीड़ित को अपर्याप्त मुआवजा लगाने की स्थिति में अपील करने का अवसर दिया जाता है, लेकिन साथ ही पीड़ित द्वारा सजा के आदेश पर सवाल उठाने के लिए अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि दं.प्र.सं. की धारा 377 राज्य सरकार को सजा बढ़ाने के लिए अपील करने की शक्ति देती है। जबकि राज्य सरकार के लिए दं.प्र.सं. की धारा 377 के तहत अपर्याप्त सजा के लिए अपील करना खुला है, लेकिन इसी तरह पीड़ित द्वारा अपर्याप्त सजा के आधार पर दं.प्र.सं. की धारा 372 के तहत कोई अपील नहीं की जा सकती है। यह काफी अच्छी तरह से तय किया गया है कि अपील का उपाय कानून का हिस्सा है। जब तक दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य कानून के तहत ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक पीड़ित के कहने पर सजा बढ़ाने की मांग करने वाली कोई भी अपील स्वीकार्य नहीं है....."

17. इसी तरह, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभों का अनुदान भी पीड़ित/सूचक द्वारा दं.प्र.सं. के धारा 372 प्रावधान के तहत अपील दायर करने के लिए एक आधार के रूप में प्रदान नहीं किया गया है, शायद इसलिए कि दोषियों को कारावास या जुर्माने की सजा देना और पीड़ितों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ देना न्यायालय के लिए वैकल्पिक विकल्प हैं।

18. इसलिए, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के लाभों के अनुदान के खिलाफ पीड़ित की अपील विचारणीय नहीं है। इसलिए, यह न्यायालय उस आक्षेपित आदेश की वैधता/अवैधता या औचित्य/अनुचितता पर विचार नहीं कर सकता जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषियों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान

किया गया है।

19. मैं राज्य के लिए विद्वान स.लो.अ. और निजी उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुति से भी सहमत हूँ कि बरी होने के खिलाफ अपील के मामले में, अपीलीय न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले सिद्धांत उन सिद्धांतों से काफी अलग हैं जो दोषसिद्धि के खिलाफ अपील के मामले में लागू होते हैं।

20. हरबंस सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1961 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 40 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि एक न्यायालय को न केवल कानून और तथ्य के सभी पहलुओं के प्रश्नों की जांच करनी चाहिए, बल्कि उन कारणों की भी बारीकी से और सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए जो विचारण न्यायालय को आरोपी को बरी करने के लिए प्रेरित करते हैं और इस तरह की जांच के बाद ही हस्तक्षेप करना चाहिए कि विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि व्यक्ति का अपराध साबित नहीं हुआ है।

21. चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, (2007) 4 एससीसी 415 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई प्राधिकारियों का हवाला देते हुए यह माना है कि एक अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बरी होने के मामले में, उसकी बेगुनाही की धारणा को विचारण न्यायालय द्वारा प्रबलित, पुष्टि और मजबूत किया जाता है और यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के फैसले को प्रभावित नहीं करना चाहिए।

22. मुरुगेसन बनाम राज्य, (2012) 10 एससीसी 383 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जब तक विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण असंभव नहीं है और इसके लिए अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य और सामग्री से संबंधित कारण बताए जाते हैं, तब तक दं.प्र.सं. के धारा 378 के तहत शक्ति के प्रयोग में किसी भी आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है।

23. एच. डी. सुंदरा बनाम कर्नाटक राज्य, (2023) 9 एस. सी. सी. 581 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 378 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया:

“8.1. अभियुक्त के बरी होने से निर्दोष होने की धारणा और मजबूत होती है;

8.2. अपीलीय न्यायालय, बरी किए जाने के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की पुनः सराहना करने का हकदार है;

8.3. अपीलीय न्यायालय को, साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद, बरी किए जाने के खिलाफ अपील का निर्णय लेते समय, इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है जो अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर लिया जा सकता था;

8.4. यदि लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है, तो अपीलीय न्यायालय इस आधार पर बरी करने के आदेश को पलट नहीं सकता है कि एक और दृष्टिकोण भी संभव था; और

8.5. अपीलीय न्यायालय बरी किए जाने के आदेश में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एकमात्र निष्कर्ष जो अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दर्ज किया जा सकता है वह यह था कि अभियुक्त का अपराध उचित संदेह से परे साबित हुआ था और कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं था।”

(जोर दिया गया)

24. बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 561, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“39. इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त के पक्ष में विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के फैसले को पलटने के लिए अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का दायरा **निम्नलिखित सिद्धांतों** के चार कोनों के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए:

(क) कि बरी किए जाने का निर्णय पेटेंट विकृति से ग्रस्त है;
(बी) कि यह अभिलेख पर भौतिक साक्ष्य पर विचार करने के लिए
गलत पढ़ने/चूक पर आधारित है;
(ग) कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से कोई भी दो उचित विचार
संभव नहीं हैं और केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप दृष्टिकोण ही
संभव है।
40. अपीलीय न्यायालय को बरी किए जाने के निर्णय में हस्तक्षेप
करने के लिए उपरोक्त कारकों पर प्रासंगिक निष्कर्ष दर्ज करने होंगे
यदि वह विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए बरी किए जाने के निर्णय
को उलटने के लिए इच्छुक है।”

(जोर दिया गया)

25. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अवलोकन से मुझे पता चला कि सूचक ओम प्रकाश गिरि से अ.सा.-3 के रूप में पूछताछ की गई है। अपने मुख्य परीक्षण में, उन्होंने अपनी लिखित प्रतिवेदन में दिए गए बयान को दोहराते हुए अभियोजन पक्ष के मामलों का समर्थन किया है। अपनी प्रति-परीक्षण में, उन्होंने स्वीकार किया है कि अभियुक्तों ने सूचक पक्ष के विरुद्ध थाना कांड संख्या 140 वर्ष 2012, थाना-मांझा भी दर्ज कराया था, जिसमें शिवजी चौधरी और शिवनाथ गिरि गवाह हैं। उन्होंने यह भी गवाही दी है कि वे यह नहीं कह सकते कि किसने किस पर हमला किया, क्योंकि चारों ओर से लाठियाँ चल रही थीं और घायलों को केवल लाठी/डंडे से ही चोटें आई हैं और घटना के समय, अंधेरा था, हालाँकि थोड़ी बिजली की रोशनी थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि दोनों पक्षों के बीच भूमि विवाद है और उनके बीच दीवानी मुकदमा चल रहा है। यदि अभियुक्त अपना दावा छोड़ देते हैं, तो कोई विवाद नहीं बचेगा। उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया है कि अभियुक्तों का भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जा था और सूचक पक्ष ने उस पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया।

26. अ.सा.-1 शिव शंकर गिरी की पत्नी भागीरथी कुंवर ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। अपनी प्रति-परीक्षण में, उसने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी पक्ष ने थाना कांड संख्या 140 वर्ष 2012, थाना-मंझागढ़ भी दर्ज किया है। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के समय अंधेरा था। वह यह नहीं बता

सकी कि किसने किस पर हमला किया। वह यह भी नहीं बता सकी कि ओम प्रकाश गिरि पर हमला किसने किया।

27. अ.सा.-2 हेमंती देवी हैं, जो ओम प्रकाश गिरि की पत्नी हैं। उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षण में अभियोजन पक्ष के मामले का भी समर्थन किया है। अपनी प्रति-परीक्षण में, उसने बताया किया है कि घटना के समय अंधेरा था। उसने पहले भी पुलिस को कोई बयान नहीं दिया है। वह यह भी नहीं बता सकी कि किसने किस पर हमला किया।

28. अ.सा.-4 श्री कामेश्वर गिरी की पत्नी, लालसा देवी हैं। उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षण में अभियोजन पक्ष के मामले का भी समर्थन किया है। हालाँकि, अपनी प्रति-परीक्षण में, उसने कहा है कि कथित घटना की रात में चंद्रमा की रोशनी थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी पक्ष से भी मामला दर्ज किया गया है। उसने यह भी बयान दिया है कि आरोपी व्यक्तियों ने केवल एक डिब्बा लिया था।

29. अ.सा.-5 रमाकांत सिंह हैं। वह मामले के जांच अधिकारी हैं। उन्होंने घायल व्यक्तियों को चिकित्सकीय कानूनी जांच के लिए भेज दिया था। अपनी प्रति-परीक्षण में, उन्होंने गवाही दी है कि उन्हें घटना स्थल पर कोई खून नहीं मिला था।

30. अ.सा.-6 डॉक्टर चंडिका प्रसाद मिश्रा हैं, जिन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मंझागढ़, गोपालगंज में 19.05.2013 को घायल व्यक्तियों की जांच की थी। श्रीमती भागीरथी कुंवर के संबंध में उनकी जांच के अनुसार, उन्होंने निम्नलिखित पाया:-

ए) दर्द और बाएं हाथ की सूजन के साथ रक्तश्रावित घाव, आकार-1 "x 1/4" x 1/4।

ख) दाहिने हाथ की विस्तारक सतह की दर्दनाक सूजन।

ग) दोनों पैरों और टांगों में दर्द की शिकायत।

घ) कूल्हे के आसपास दर्द की शिकायत।

पूरक चोट प्रतिवेदन के अनुसार, दो चोटें गंभीर पाई गईं, जबकि अन्य दो चोटें साधारण पाई गईं।

31. डॉक्टर (अ.सा.-6) ने भी हेमंती देवी की जांच की है और उनके व्यक्ति

पर, उन्होंने निम्नानुसार पाया है:

क) बाएं हाथ में दर्द के साथ बाएं अग्र-भुजा विस्तारक सतह पर $1/2$ "x $1/4$ " x $1/4$ " रक्तश्रावित घाव।

ख) दाहिनी कोहनी पर सूजन और दर्द के साथ $1/2$ "x $1/4$ " x $1/4$ " रक्तश्रावित घाव

ग) इकोमॉसिस ने कूल्हे के आसपास दर्द के साथ ग्लूटियल छोड़ दिया

ओम प्रकाश गिरि की पूरक चोट प्रतिवेदन के अनुसार, एक चोट गंभीर पाई गई।

32. डॉक्टर (अ.सा.-6) ने भी ओम प्रकाश गिरि की जाँच की है और उनके शरीर पर निम्नलिखित पाया:

क) बाएं हाथ के आकार का रक्तश्रावित घाव- 1 "x $1/4$ " x $1/4$ "के साथ इकोहाइमोसिस 1 " x $1/4$ ", बाएं कंधे और बाईं हथेली में दर्द और सूजन।

ख) दाहिने हाथ में दर्द की शिकायत।

ग) कूल्हे के आसपास दर्द की शिकायत।

घ) खोपड़ी के आसपास दर्द की शिकायत।

पूरक चोट प्रतिवेदन के अनुसार, एक चोट गंभीर पाई गई।

33. डॉक्टर (अ.सा.-6) ने भी लालसा देवी की जाँच की है और उनके शरीर पर निम्नलिखित पाया:

ए) दाहिनी हथेली और दाहिनी कलाई पर खरोंच के घाव के साथ दाहिनी भुजा में सूजन।

ख) बाम अग्र-भुजा 2 "x $1/4$ "

ग) खोपड़ी की हड्डी की सतही सतह तक गहराई में 4 "x $1/2$ " x मापने वाले खोपड़ी पर दो घाव। 3 " x $1/2$ "x $1/2$ " खोपड़ी का अस्थायी भाग।

पूरक चोट प्रतिवेदन के अनुसार, चोटें सरल पायी गयीं।

34. घटना में घायल व्यक्तियों पर पाई गई सभी चोटें कठोर और कुंद वस्तु से लगी थीं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि एक्स-रे प्लेट, जिसके आधार पर उनके द्वारा चोट

की प्रकृति बताई गई थी, उनके सामने नहीं थी।

35. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि रात थी और घटना के समय अंधेरा था। कोई भी गवाह यह नहीं बता सका कि किसने किस पर हमला किया। इसके अलावा, अभियुक्त व्यक्तियों का हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। उनके पास कोई खतरनाक हथियार नहीं थे, न ही उन्होंने यह दिखाने के लिए कोई स्पष्ट कार्य किया है कि उनका इरादा हत्या करने का था और पीड़ितों को केवल हस्तक्षेप करने वाली परिस्थितियाँ से बचाया जा सकता था। चोरी के आरोप के समर्थन में अभिलेख पर कोई सबूत भी नहीं है।

36. यहाँ, सगयम बनाम कर्नाटक राज्य, (2000) 4 एस. सी. सी. 454 का उल्लेख करना उचित होगा, जहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि भा.दं.वि. की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए, यह कानून में पर्याप्त है यदि इसके निष्पादन में किसी स्पष्ट कार्य के साथ कोई इरादा मौजूद है, यदि प्रयास इतना आगे बढ़ गया है कि यह पूरा हो गया होता, लेकिन बाहरी हस्तक्षेप के लिए जो इसकी समाप्ति को निराश करता है।

37. पुलिचेरला नागराजू उर्फ नागराज रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2006) 11 एससीसी 444 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्यु कारित करने के इरादे के संबंध में राय बनाने के तरीके के संबंध में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

“29..... मृत्यु का कारण बनने का इरादा आम तौर पर अन्य परिस्थितियों के अलावा निम्नलिखित में से कुछ या कई के संयोजन से एकत्र किया जा सकता है: (i) उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति; (ii) क्या हथियार अभियुक्त द्वारा ले जाया गया था या उसे मौके से उठाया गया था; (iii) क्या प्रहार शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से को निशाना बनाकर किया गया था; (iv) चोट पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किए गए बल की मात्रा; (v) क्या यह कार्य अचानक झगड़े या अचानक लड़ाई के दौरान हुआ था या सभी लड़ाई के लिए स्वतंत्र था; (vi) क्या घटना संयोग से हुई थी या कोई पूर्वधारणा थी; (vii) क्या कोई पूर्व शत्रुता थी

या मृतक कोई अजनबी था; (viii) क्या कोई गंभीर और अचानक उकसावे की स्थिति थी, और यदि हां, तो ऐसे उकसावे का कारण क्या था; (ix) क्या यह जुनून की गर्मी में था; (x) क्या चोट पहुँचाने वाले व्यक्ति ने अनुचित लाभ उठाया है या क्रूर और असामान्य तरीके से काम किया है; (xi) क्या आरोपी ने एक प्रहार किया है या कई प्रहार किए हैं। परिस्थितियों की उपरोक्त सूची, निश्चित रूप से, संपूर्ण नहीं है और अलग-अलग मामलों के संदर्भ में कई अन्य विशेष परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो इरादे के सवाल पर प्रकाश डाल सकती हैं।”

38. इस प्रकार, मैं पाता हूँ कि मामले में विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अच्छी तरह से तर्कपूर्ण है और कानून के उचित मूल्यांकन और अभिलेख पर साक्ष्य पर आधारित है। ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय के लिए विचारण न्यायालय के निर्णय को किसी अन्य दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित करने वाले आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः यह अपील खारिज किए जाने योग्य है।

39. अतः, किसी भी योग्यता के अभाव में, यह अपील, विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-VII, गोपालगंज द्वारा थाना कांड सं.-101 वर्ष-2013, थाना-मंझागढ़ से उद्भूत 2017 की सत्र परीक्षण संख्या 251 में पारित दोषसिद्धि और सजा के दिनांक 30.04.2022 के आक्षेपित निर्णय को बरकरार रखते हुए खारिज की जाती है।

40. हालाँकि, इससे पहले कि मैं वर्तमान अपील को छोड़ दूँ, यह भी इंगित करना उचित है कि उत्तरदाता सं. 2 से 13 तक को भा.दं.वि. की धारा 147, 447, 341, 323 और 427 के तहत दोषी पाया गया है और सूचक/ओम प्रकाश गिरि, भागीरथी कुंवर, हेमंती देवी को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि लालसा देवी को मामूली चोटें आई हैं। इसके अलावा, सूचक, जो इसमें अपीलकर्ता है, ने मुकदमे के दौरान और वर्तमान अपील दायर करने और मुकदमा चलाने में भी खर्च किया है। हालाँकि, विद्वत विचारण न्यायालय ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत दोषियों की रिहाई का निर्देश देते हुए, अधिनियम की धारा 5 पर ध्यान नहीं दिया है जो पीड़ितों को मुआवजे और लागत के भुगतान का प्रावधान करती

है।

41. अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, यदि किसी अपराधी को अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत रिहा किया जाता है, तो न्यायालय को अपराधी को पीड़ित को हुए नुकसान या चोट के लिए मुआवजा और लागत का भुगतान करने का निर्देश देने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 5 का वैधानिक प्रावधान **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा **मारू राम एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1981) 1 एससीसी 107** में निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की ओर से बोलते हुए प्रसिद्ध न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर ने कहा था कि नुकसान की भरपाई या चोट को ठीक करने की अपराधी की सामाजिक जिम्मेदारी दंडात्मक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लेकिन कारावास की अवधि अपंग या शोक संतप्त व्यक्ति के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं है, बल्कि क्रूरता के साथ निरर्थकता है।

42. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान भी दं.प्र.सं.,1973 की धारा 357(3) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 395(3) के अनुरूप हैं, जो दोषी द्वारा अपने अपराध के पीड़ित को मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करते हैं।

43. मुआवजे की मात्रा का आकलन करते समय, मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ, अपराध की प्रकृति और दावे की न्याय्यता और भुगतान करने के लिए अपराधी की क्षमता न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले प्रासंगिक कारक हैं। निम्नलिखित अधिकारियों का संदर्भ लें:

1. हरि किशन बनाम सुखबीर सिंह, (1988) 4 एससीसी 551,
2. सरवन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1978) 4 एससीसी 111,
3. अंकुश एस. गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 6 एससीसी 770।

44. यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या न्यायालय, पीड़ितों की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत किए बिना, अपराधी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 या 4 का लाभ देते

हुए, दोषी को पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश दे सकता है। इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है।

45. यहाँ, अधिनियम, 1958 की धारा 5 का उल्लेख करना उचित होगा जो इस प्रकार है:

“5. रिहा किये गये अपराधियों से मुआवजा और लागत का भुगतान करने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्ति- (1) धारा 3 या धारा 4 के तहत किसी अपराधी की रिहाई का निर्देश देने वाला न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो उसी समय उसे (क) ऐसा मुआवजा देने का निर्देश दे सकता है जो न्यायालय अपराध करने से किसी व्यक्ति को हुए नुकसान या चोट के लिए उचित समझता है; और (ख) कार्यवाही के ऐसे खर्च जो न्यायालय उचित समझता है।

(2).....

(3).....”

(जोर दिया गया)

46. 1958 के अधिनियम की धारा 5 के शब्दों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत एक अपराधी की रिहाई का निर्देश देते समय, विचारण न्यायालय अपराधी को पीड़ितों को नुकसान या चोट के लिए ऐसा मुआवजा और कार्यवाही की ऐसी लागत का भुगतान करने का निर्देश दे सकती है, जिसे न्यायालय उचित समझे।

47. यह भी ध्यान रखना उचित है कि इस तरह के मुआवजे या कार्यवाही की लागत प्राप्त करने के लिए पीड़ित की ओर से कोई आवेदन दायर करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। यदि न्यायालय का मानना है कि पीड़ित को मुआवजा और खर्चा मिलना चाहिए, तो न्यायालय स्वतः ही दोषी के विरुद्ध पीड़ित के पक्ष में ऐसा निर्देश पारित कर सकता है। ऐसे निर्देश के लिए एकमात्र पूर्व शर्त यह है कि अपराधी को 1958 के अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत रिहा कर दिया गया हो।

48. विचारण न्यायालय की तरह अपीलीय न्यायालय को भी ऐसा निर्देश

पारित करने का अधिकार है यदि अपीलीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इसे उचित समझता है, क्योंकि अपील और कुछ नहीं बल्कि मुकदमे की निरंतरता है और अपीलीय न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश न केवल पीड़ितों/सूचक द्वारा दायर अपील में, बल्कि दोषियों द्वारा दायर अपील में भी पारित किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के निर्देश को न्यायालय द्वारा ऐसे निर्देश की तर्कसंगतता के बारे में अपनी संतुष्टि पर पारित करने की आवश्यकता होती है, भले ही आवेदन या पीड़ितों द्वारा कोई आवेदन न हो। यहाँ यह भी याद रखना आवश्यक है कि आपराधिक न्याय के प्रशासन में पीड़ितों को नहीं भुलाया जाना चाहिए। व्यक्तिगत पीड़ितों और बड़े पैमाने पर समाज के हितों का ध्यान रखने के लिए दंड और पीड़ित विज्ञान को साथ-साथ चलना चाहिए।

49. अतः इस मामले में, उत्तरदाता संख्या 2, 3, 4 और 5 प्रत्येक को निर्देश दिया जाता है कि वे सूचनादाता/ओम प्रकाश गिरि को 4,000/- रुपये (केवल चार हजार रुपये) की राशि मुआवजे और कार्यवाही की लागत के रूप में अदा करें। उत्तरदाता संख्या 6, 7 और 8, प्रत्येक भागीरथी कुंवर को 4,000/- रुपये (केवल चार हजार रुपये) की राशि अदा करेंगे; उत्तरदाता संख्या 9, 10 और 11, प्रत्येक हेमंती देवी को 4,000/- रुपये (केवल चार हजार रुपये) की राशि अदा करेंगे और उत्तरदाता संख्या 12 और 13, प्रत्येक लालसा देवी को मुआवजे के रूप में 4,000/- रुपये (केवल चार हजार रुपये) की राशि अदा करेंगे।

50. निर्देशानुसार, उत्तरदाता संख्या 2 से 13 को इस आदेश की तिथि से दो महीने के भीतर भुगतान करना होगा, अन्यथा उन्हें एक महीने के साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरि सिंह बनाम सुखबीर सिंह (1988) 4 एससीसी 551** में यह निर्णय दिया है कि न्यायालय भुगतान न करने पर दंड लगाकर मुआवजे के आदेश को लागू कर सकता है।

51. इस अपील के अभिलेख को संबंधित विचारण न्यायालय को तुरंत वापस कर दिया जाए।

(जीतेन्द्र कुमार, न्ययामूर्ति)

शोएब/रवि शंकर

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।